

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 265/2024

निर्णय दिनांक :- 8/7/2024

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. कान्ता पुत्र कालू जाति जोगी निवासी सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. मेवा पुत्री कालू जाति जोगी निवासी सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. शिवजीलाल पुत्र कालू जाति जोगी निवासी सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

-प्रार्थी-

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 556 खसरा नम्बर 1990/1330 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके हैं। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करवायी गई तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

८

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।


तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है व अन्य खातेदार का कब्जा नहीं है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद नहीं होना बताया है। किसी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नहीं है उक्त भूमि की सीमाओं पर सीवायचक भूमि खसरा नम्बर 1932/1290 है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 556 खसरा नम्बर 1990/1330 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली